



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

51-2020/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, APRIL 16, 2020 (CHAITRA 27, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 अप्रैल, 2020

संख्या 39/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 57/जीएसटी-2, दिनांक 26 अप्रैल, 2019, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 57/जीएसटी-2, दिनांक 26 अप्रैल, 2019, में, —

(i) द्वितीय पैरा में,—

(i) अंत में विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर, “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु उक्त व्यक्ति, 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए 7 जुलाई, 2020 तक हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के अधीन प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में स्वतः निर्धारित कर के भुगतान का ब्यौरा शामिल करते हुए विवरण प्रस्तुत करेंगे।” ;

(ii) तृतीय पैरा में, —

(i) अंत में विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर, “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु उक्त व्यक्ति, 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 15 जुलाई, 2020 तक हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-4 में विवरणी प्रस्तुत करेंगे।” ।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 16th April, 2020

No.39/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.57/GST-2, dated the 26th April, 2019, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.57/GST-2, dated the 26th April, 2019, namely:-

(i) in the second paragraph, -

(i) for the sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted ;

(ii) the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the said persons shall furnish a statement, containing the details of payment of self-assessed tax in **FORM GST CMP-08** of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, for the quarter ending 31st March, 2020, till the 7th day of July, 2020.”;

(ii) in the third paragraph,-

(i) for the sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted ;

(ii) the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the said persons shall furnish the return in **FORM GSTR-4** of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, for the financial year ending 31st March, 2020, till the 15th day of July, 2020.”.

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.